उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय

नैनीताल

माननीय श्री न्यायाधीश राकेश थपलियाल

रिट याचिका (एम/एस) संख्या 3405 सन 2023

19 दिसंबर, 2023

प्रबंधन समिति

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

साथ में

रिट याचिका (एम/एस) संख्या 2839 सन 2023

प्रबंधन समिति .....

याचिकाकर्ता।

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य ..... प्रत्यर्थीगण।

साथ में

रिट याचिका (एम/एस) संख्या 3412 सन 2023

राष्ट्रीय कन्या इंटर कॉलेज प्रबंधन समिति ..... याचिकाकर्ता।

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य ..... प्रत्यर्थी।

रिट याचिका (एम/एस) संख्या 3416 सन 2023

प्रबंधन समिति आर्य इंटर कॉलेज और एक अन्य ..... याचिकाकर्ता।

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य ..... प्रत्यर्थी।

याचिकाकर्ताओं के लिए वकील : श्री परीक्षित सैनी और श्री आलोक माहरा, विद्वान अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी के लिए अधिवक्ता : श्री एस. एन. बाबुलकर, विद्वान महाधिवक्ता, विद्वान स्थायी वकील श्री जगदीश सिंह बिष्ट, की सहायता से।

न्यायालय ने यह निर्णय दिया :

<u>सामान्य निर्णयः</u> (माननीय श्री राकेश थपलियाल के अनुसार)

दिनांक 08.12.2023 के आदेश द्वारा, राज्य अधिवक्ता को इस मामले में निर्देश प्राप्त करने के लिए निर्देशित किया गया था कि किस आधार और कारणों से, बार-बार, संस्थानों को रिक्त पदों को भरने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इसके बाद 13.12.2023 को सचिव, स्कूल शिक्षा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 14.12.2023 को न्यायालय में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया। 14.12.2023 को, मेजर योगेन्द्र यादव, अतिरिक्त सचिव, और श्री पंकज कुमार पांडे, प्रभारी सचिव, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए, और दोनों ने न्यायालय की सहायता की, लेकिन यह न्यायालय मेजर योगेन्द्र यादव, अपर सचिव द्वारा की गई दलीलों से संतुष्ट नहीं था, और यही कारण था कि दिनांक 14.12.2023 को श्री पंकज कुमार पांडे, प्रभारी सचिव से अगली निर्धारित तिथि पर न्यायालय की सहायता करने का अनुरोध किया गया।

2. आज प्रभारी सचिव श्री पंकज कुमार पांडे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम द्वारा पेश होते हैं और इस न्यायालय की सहायता करते हैं। उनका कहना है कि, अब महानिदेशक, स्कूल शिक्षा को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं और महानिदेशक, स्कूल शिक्षा ने, बदले में, सभी जिलों के संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी को भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।

3. चूंकि प्रभारी सचिव ने इस न्यायालय के समक्ष बयान दिया है कि अब महानिदेशक, विद्यालय शिक्षा को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं, जिन्होंने

मामले को ध्यान में रखते हुए सभी जिलों के सभी संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं, ऐसे में मामले को देखते हुए मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 29.11.2023 पर पारित आदेश का कोई अर्थ नहीं है।

4. श्री बाबुलकर, विद्वान महाधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि अब, चूंकि प्रभारी सचिव ने बयान दिया है कि महानिदेशक, विद्यालय शिक्षा को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं, जिन्होंने सभी जिलों के सभी संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारियों को भर्ती प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ने के लिए आवश्यक निर्देश भी जारी किए हैं, इसलिए मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा पारित दिनांक 29.11.2023 के आदेश को जारी रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य नहीं है।

5. इसे ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका संख्या 2023 का (एम/एस) 3405,2023 का (एम/एस) 3412 और 2023 का (एम/एस) 3416 का निपटारा किया जाता है, और प्रभारी सचिव द्वारा दिए गए बयान को ध्यान में रखते हुए मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा पारित आदेश, दिनांक 29.11.2023, को रद्द कर दिया जाता है।

6. यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रभारी सचिव द्वारा दिए गए बयान के आधार पर शुरू की जाने वाली भर्ती प्रक्रिया, यदि कोई हो, रिट याचिका (एम/एस) संख्या 2839 सन 2023 के अंतिम परिणाम के अधीन होगी।

<u>रिट याचिका (एम/एस) संख्या 2839 सन 2023</u>

7. प्रत्यर्थी छह सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर कर सकते हैं।

8. इसके बाद, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को प्रत्युत्तर-शपथ पत्र दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया जाता है।

9. आठ सप्ताह के पश्चात इस मामले को सूचीबद्ध करें।

10. अंतरिम आदेश दिनांक 10.10.2023 को लिस्टिंग की अगली तारीख तक बढ़ाया जाता है।

(राकेश थपलियाल, जे.)

दिनांक: 19 दिसंबर, 2023

निशांत